न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 34/2024-25

निर्मल यादव -बनाम- मुन्ना यादव वगै.

भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163-(4)

देश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
08.07.2024	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163-(1) (द0प्र0सं0 की धारा 144) के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु वाद को पंजीकृत करते हुए उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई प्रारम्भ की गई, एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163-(1) के तहत उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।	

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
पीपराडीह	0104	09	189	24.33 डि0

निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादगत भूमि के संबंध में अपना-अपना कारणपृच्छा एवं दावे के समर्थन में राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेखबद्ध किया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि मौजा: पीपराडीह, खाता नं. 09, प्लॉट नं. 189, कुल रकवा: 1.46 एकड़ भूमि सर्वे खतियान अनुसार धुनी महतो एवं खेमलाल महतो वो फुलवा महतो एक-एक हिस्सा बराबर के नाम से दर्ज है। धुनी महतो को उक्त भूमि में से हिस्सा 73 डि. प्राप्त हुआ। धुनी महतो अपने पीछे एकमात्र पुत्र श्यामलाल महतो हुए। श्यामलाल महतो अपने पिता के हिस्से में प्राप्त भूमि 73 डि. पर कायम काबिज होकर दखलकार हुए। श्यामलाल महतो के तीन पुत्र 1. किटी महतो, 2. लोकन महतो एवं 3. गणपत महतो संयुक्त रूप से दखलकार हुए। आगे चलकर तीनों पुत्रों के बीच उक्त भूमि का बराबर हिस्सा 24.33 डि. भूमि प्राप्त हुआ। द्वितीय पक्षकार किटी महतो के पुत्र है जिनके द्वारा प्रथम पक्ष के पिता के हिस्से में प्राप्त भूमि पर जबरन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिए जिसके कारण प्रथम पक्ष को यह वाद न्यायालय में लाया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस वाद में अंकित भूमि को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त करने एवं विपक्षी मदस्यों के विरूद्ध प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वे प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के बिन्दु 2, 3, 4 एवं 5 से सहमत है। वे स्वीकार करते है कि उभय पक्ष एक ही खतियानी

रैयत के वंशज है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि उनके हिस्से की प्राप्त भूमि है। जिसपर दिनांक 01.11.2023 को स्थानीय पंचों की उपस्थिति में पैमाईश किया जा चुका है। अमीन जगदीश साव के द्वारा बंटवारा के मुताबिक नक्शा बनाया गया जिसमें प्रत्येक हिस्सेदारों की भूमि अलग-अलग रंग से दिखाई गई है। द्वितीय पक्ष के द्वारा बंटवारा एवं नक्शा की छाया प्रति संलग्न किया गया है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि वे अपने हक-हिस्से की भूमि पर अर्धनिर्मित निर्माण पर कार्य करना चाहते है जिसपर प्रथम पक्ष के द्वारा विरोध किया जाता है। द्वितीय पक्ष के द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

---- विवेचना एवं आदेश ----

इस वाद में उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा, विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति का अवलोकन करने एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को ऐसा प्रतीत होता है कि वादगत भूमि रैयति खाते की भूमि है। उभय पक्ष एक हीं खतियानी रैयत के वंशज है। जिनके बीच पूर्वजों से प्राप्त भूमि पर बंटवारा स्थानीय पंचों एवं अमीन के द्वारा किया जा चुका है। फिर भी यदि किसी पक्ष को इस बंटवारा से आपति है तो वे सक्षम न्यायालय में बंटवारा वाद(Partition Suit) दायर कर मामले का निष्पादन करवा सकते है। बंटवारा वाद(Partition Suit) का निष्पादन करना अधोहस्ताक्षरी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163-(1) (द0प्र0सं0 की धारा 144) के उपधारा 4 के तहत आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित् एवं सशोधित

08/07/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

08/07/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.09.04 18:23:22 +05:30
Location: 192.168.224.188